चित्रकूट पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल के तहत जनपद के समस्त थानों की एन्टीरोमियों टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारो के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित

आज दिनांक 13.08.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत अपने-अपने थाना क्षेत्र में बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्रीमती रीता सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अमरेशचन्द्र तिवारी एवं उनकी टीम द्वारा 05 जुआरियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया।

थाना बरगढ़ पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण 1- दीपक वर्मा पुत्र जगजीवन 2.छोटका यादव पुत्र लाला 3.अशोक कुमार पुत्र दीनदयाल 4.विवेक यादव पुत्र इन्द्रभान यादव 5.कपिल सिंह पुत्र सूर्यभान सिंह निवासीगण लपांव थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को ताश के पत्तों से हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। जुआरियों के कब्जे से मालफड़ से 310/- रूपये व 52 अदद तास पत्ता, जामा तलाशी से 1010/- रुपये बरामद किए गए।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.उ0नि0 श्री अमरेशचन्द्र तिवारी

2.आरक्षी पीयूष सरन

3.आरक्षी उपेन्द्र कुमार

4.आरक्षी अंकित यादव

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री श्रीप्रकाश यादव के मार्गदर्शन में उ0नि0 रामअधार सिंह व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त कुलदीप नारायण पुत्र कृष्णचन्द्र निवासी यमुना रोड कस्बा व थाना मऊ जनपद चित्रकूट को एक झोले में 20 क्वार्टर देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1.उ0नि0 श्री रामअधार सिंह

2.आरक्षी नीतू द्विवेदी

3. आरक्षी सोनपाल

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूष कान्त राय एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री सत्येन्द्र सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री विनोद कुमार राय तथा उनकी टीम द्वारा थाना क्षेत्र भरतकूप से अपहरण हुए मनोज पाल की घटना में शामिल शेष **वांछित आरोपी 01 अभियुक्ता व 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।**

गिरफ्तारी का स्थान व समयः-

जीरो प्वाइंट पुल थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट,दिनाँक 25.08.2026 की समय करीब 11.35 बजे

सक्षिप्त विवरणः-

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 20.08.2026 को वादिया पट्टी देवी पत्नी मनोज पाल निवासी बैहार थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 19.08.2026 को सुबह से उनके पति मनोज पाल पुत्र देवीचरन ई-रिक्शा चलाने के लिए कर्वी गये थे जो शाम तक वापस नही आये तो वादिया व उसके पुत्र अजय पाल ने तलाश की तो दिनांक 20.08.2026 को मनोज पाल की ई-रिक्शा चौहान ढ़ाबा के पास कर्वी रोड के किनारे खड़ा मिला वहाँ पर खड़ा एक व्यक्ति ने बताया कि शाम 07.30 बजे ई-रिक्शा चालक को कुछ लोग जबजस्ती चार पहिया वाहन में बैठाकर ले गये। इस सूचना पर थाना भरतकूप में मु0अ0सं0 146/2026 धारा 140(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा एसओजी/सर्विलांस प्रभारी तथा प्रभारी निरीक्षक भरतकूप को घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था।

दौराने विवेचना सीसीटीवी फुटेज से प्रकाश में आयी घटना में प्रयुक्त गाड़ी आई-20 कार व उसके नम्बर से वाहन स्वामी का नाम,मो0नं0 तथा अपहृत मनोज पाल के मो0नं0 घटना के समय मौजूद तथा कुछ गवाहों के आधार पर इस घटना का सफल अनावरण किया गया।

दिनांक 24.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर एसओजी/सर्विलांस टीम एवं थाना भरतकूप पुलिस ने गोड़ा मोड़ के पास से घटना में शामिल चार अभियुक्तों को आई-20 कार सहित गिरफ्तार किया। पूछताछ में मुख्य अभियुक्त हिमांशु पाल ने स्वीकार किया कि उसके पिता अनिल पाल एवं चाचा मनोज पाल के बीच पैतृक सम्पत्ति को लेकर विवाद था।

उसने बताया कि उसके बाबा देवीचरन के नाम ग्राम गौरीकला, थाना जसपुरा, जनपद बांदा में लगभग 07 बीघा भूमि तथा भरुआ सुमेरपुर, जनपद हमीरपुर में तीन मकान थे। सम्पत्ति के बंटवारे के बाद भी एक साझा मकान को लेकर विवाद बना रहा। उसी मकान पर कब्जा करने और सम्पत्ति हड़पने की नीयत से योजनाबद्ध तरीके से मनोज पाल का अपहरण कर उनकी हत्या की साजिश रची गई।
घटना में प्रयुक्त आई-20 कार (UP 32 LM 7797) को धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सीज किया गया। विवेचना के आधार पर मुकदमे में धारा 238, 61(1), 103(1) एवं 3(5) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।
इसी क्रम में आज दिनांक 25.08.2026 को प्रभारी निरीक्षक भरतकूप एवं उनकी टीम द्वारा घटना में शामिल शेष वांछित 01 अभियुक्ता एवं 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता
रेखा पत्नी अनिल पाल, उम्र 42 वर्ष, निवासी गांधीनगर, कचहरी के पीछे, थाना कोतवाली महोबा, जनपद महोबा।
प्रद्युम्न पाण्डेय पुत्र रामेश्वर पाण्डेय, उम्र 28 वर्ष, निवासी चांदथोक, कस्बा व थाना भरुआ सुमेरपुर, जनपद हमीरपुर।
गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>

1.श्री विनोद कुमार राय प्रभारी निरीक्षक भरतकूप
2.आरक्षी कामता सिंह
3.आरक्षी नागेन्द्र यादव
4.म0आ0 पूजा यादव
5.आरक्षी चालक शक्ति सिंह

(5). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी कोतवाली कर्वी एवं पैरोकार आरक्षी प्रशान्त कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी,प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्री कमल किशोर एवं उनकी टीम एवं जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री शेषमणि शुक्ला द्वारा आज दिनांक 25.08.2026 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 266/2022 धारा 302 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त राहुल शुक्ला पुत्र फूलचन्द्र शुक्ला निवासी ग्राम खोर थाना रैपुरा हाल पता शोभा सिंह का पुरवा शुक्ला कॉलोनी थाना कोत0 कर्वी जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण-</u>

दिनांक 13.07.2022 को वादिया श्रीमती मिथलेश कुमारी पत्नी स्व0 रामबहादुर शुक्ला निवासी खोर थाना रैपुरा हाल पता शोभा सिंह का पुरवा शुक्ला कॉलोनी थाना कोत0 कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी थी कि दिनांक 13.07.2022 को उनके पति रामबहादुर शुक्ला को उनका ही नाती राहुल शुक्ला पुत्र फूलचन्द्र शुक्ला द्वारा रामबहादुर को जमीन पर पटक देना जिससे सर फट कर मृत्यु हो जाना। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 266/2022 धारा 302 भादवि0 बनाम राहुल शुक्ला पुत्र फूलचन्द्र शुक्ला निवासी ग्राम खोर थाना रैपुरा हाल पता शोभा सिंह का पुरवा शुक्ला कॉलोनी थाना कोत0 कर्वी जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया। विवेचक निरीक्षक स्व0 श्री अशोक कुमार सिंह द्वारा आरोपी अभियुक्त राहुल शुक्ला उपर्युक्त को दिनाँक 14.07.2022 को गिरफ्तार करते हुए दिनाँक 25.07.2022 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया था ।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूष कांत राय व क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री श्रीप्रकाश यादव के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री रामअधार सिंह व उनकी टीम द्वारा चोरी की 6.9 किलो ग्राम सफेद एल्युमिनियम व 23.25 किलो ग्राम तांबे का जला हुआ तार के साथ 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त का नाम पता का विवरण-

1.राजाराम निषाद पुत्र मुन्नीलाल निषाद उम्र करीब 30 वर्ष निवासी कैरा पुरवा मजरा बरूआ थाना राजापुर जनपद चित्रकूट

2.अरविन्द कुमार निषाद पुत्र रामप्रसाद निषाद उम्र करीब 23 वर्ष निवासी शेमरी थाना धाता जनपद फतेहपुर

3.सीटू गुप्ता पुत्र नारायण दास गुप्ता उम्र करीब 32 वर्ष निवासी छतहरा थाना लालापुर जनपद प्रयागराज

4.अमरेश निषाद पुत्र नत्थू प्रसाद उम्र करीब 33 वर्ष निवासी शाहपुर थाना महेबाघाट जनपद कौशाम्बी

5.रामराज निषाद पुत्र चन्द्रपाल निषाद उम्र करीब 40 वर्ष निवासी बरुआ थाना राजापुर चित्रकूट

6.विष्णु निषाद पुत्र गोरे निषाद उम्र करीब 34 वर्ष निवासी मण्डौर थाना मऊ जनपद चित्रकूट

बरामदगी-

6.9 किलो ग्राम सफेद एल्युमिनियम

23.25 किलो ग्राम तांबे का जला हुआ तार

गिरफ्तारी का स्थान/दिनाँक-

ग्राम मडौर के आगे आम महुआ के बगीचे के पास सड़क के किनारे, 25.08.2026, समय 00.30 ए0एम

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 25.06.2026 को वादी श्री मोहित नवलानी 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र छीबो मऊ द्वारा सूचना दी गयी थी कि दिनाँक 14.06.2026 व दिनाँक 17.06.2026 को अज्ञात चोरो के द्वारा 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र छीबो के कई नीजी नलकूप धारकों के लगभग 1 लाख 50 हजार रूपये की तार चोरी कर लेना। इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 218/2026 धारा 136(1)(सी) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया तथा दिनाँक 24.08.2026 को रामसागर पुत्र बदलूराम निवासी बिहटा थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी थी कि ग्राम हन्ना विनायका के सौर्य ऊर्जा प्लांट पर दिनाँक 09.08.2026 की रात्रि अज्ञात चोरो द्वारा लगभग 440 मीटर केबिल तार काटकर चोरी कर लेना। इस सूचना पर थाना थाना मऊ में मु0अ0सं0 307/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया।

आज दिनाँक 25.08.2026 को उ0नि0 श्री रामअधार सिंह व उनकी टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि बिजली के तार चोरी के 5-6 व्यक्ति ग्राम मडौर के आगे आम महुआ के बगीचे के पास सड़क के किनारे बैठे है। मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुंचकर 06 व्यक्तियों को 02 बोरी में रखे सामान के साथ गिरफ्तार किया गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो क्रमशः अपना नाम 1.राजाराम निषाद पुत्र मुन्नीलाल निषाद उम्र करीब 30 वर्ष निवासी कैरा पुरवा मजरा बरूआ थाना राजापुर जनपद चित्रकूट 2.अरविन्द कुमार निषाद पुत्र रामप्रसाद निषाद उम्र करीब 23 वर्ष निवासी शेमरी थाना धाता जनपद फतेहपुर 3.सीटू गुप्ता पुत्र नारायण दास गुप्ता उम्र करीब 32 वर्ष निवासी छतहरा थाना लालापुर जनपद प्रयागराज 4.अमरेश निषाद पुत्र नत्थू प्रसाद उम्र करीब 33 वर्ष निवासी शाहपुर थाना महेबाघाट जनपद कौशाम्बी 5.रामराज निषाद पुत्र चन्द्रपाल निषाद उम्र करीब 40 वर्ष निवासी बरुआ थाना राजापुर चित्रकूट 6.विष्णु निषाद पुत्र गोरे निषाद उम्र करीब 34 वर्ष निवासी मण्डौर थाना मऊ जनपद चित्रकूट बताया गया तथा बोरी को खोलकर देखा गया तो एक सफेद प्लास्टिक की बोरी में सफेद धातु की एल्युमिनियम बिजली की तार एवं नीली रंग की प्लास्टिक की बोरी में बिजली का जला हुआ तांबे की तार बरामद हुआ। पकड़े गये व्यक्तियों से बरामद सामाग्री के बारे में पूछताछ की गयी तो बताया कि खेतो में लगे 06 ट्यूबेलों के बिजली तार को काटकर चोरी की थी। बरामदगी के आधार पर दोनों मुकदमों में धारा 317(2) की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.उ0नि0 श्री रामअधार सिंह

2.उ0नि0 श्री अनिल कुमार

3.उ0नि0 श्री मुन्ना सिंह

4.आरक्षी कुलदीप द्विवेदी

5.आरक्षी सोनपाल

6.आरक्षी चालक नीतू द्विवेदी

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका नाजनी बानों निवासी कर्वी ने अपने पति के विरुद्ध लड़ाई झगड़ा,गाली गलौज एवं मारपीट के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया था। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया था। परिवार परामर्श केन्द्र टीम महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह,महिला आरक्षी सोनिका द्विवेदी द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़ो को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह

2.महिला आरक्षी सोनिका द्विवेदी